न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00054 (54/2019)

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ईश्वरदयाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 14 रामदेव जी मन्दिर के पास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. गायत्री पुत्री ईश्वर दयाल पत्नी औमप्रकाश तिवाड़ी सेवानिवृत लिपिक विद्युत विभाग श्री माधोपुर जिला सीकर
3. सुजाता पुत्री ईश्वर दयाल पत्नी अशोक कुमार तिवाड़ी अध्यापक पुत्र किशोरीलाल तिवाड़ी श्री माधोपुर जिला सीकर
4. सिरोज पत्नी भवंरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान बी 156 ए0 नोएडा उत्तर प्रदेश।
5. रोहित पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान बी 156 ए0 नोएडा उत्तर प्रदेश।
6. रतना पुत्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान बी 156 ए0 नोएडा उत्तर प्रदेश।
7. सुन्दर देवी पत्नी बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड सं0 4 हाथ्झीपुरा बास तहसील भादरा।
8. मनोज कुमार पुत्र बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड सं0 4 हाथीपुरा बास भादरा
9. कर्ण कुमार पुत्र बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड सं0 4 हाथीपुरा बास भादरा।
10. पूजा पुत्री बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड सं0 4 हाथीपुरा बास भादरा तहसील भादरा।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. अमीचन्द पुत्र उदयराम जाति [illegible] तहसील भादरा

—असल रेस्पोडेण्ट

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व [illegible] तहसील भादरा।

—रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 07.02.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा अनवान
अमीचन्द बनाम गोरा देवी आदि प्र0 सं0 12/2019

श्री अंजनी तिवाड़ी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांकः— 10.02.2021

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। वाद पत्र में कथन किया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज ईश्वर दयाल की चक 6 बीएचडी भादरा में कुल 8 बीघा भूमि थी जो वादी ने खरीद करके बेयनामा रजिस्ट्रार कार्यालय भादरा में अपने नाम से तस्दीक करवा लिया। वादी द्वारा खरीद शुदा भूमि में से मु0 नं0 2 के किला नं. 23–24 मु0 नं0 7 के किला नं. 3, 4, 8, 15 की 6 बीघा बाद में गैरखातेदारी विक्रेता के नाम हो गई जिसका वादी को पहले इल्म नहीं था। बैयनामा में दर्ज 6 बीघा रकबा विक्रेता के नाम गैरखातेदारी हो गया जिसको उसने दुरूस्त नहीं करवाया इस कारण वादी का कुल रकबा का इन्तकाल वादी के नाम नहीं हो पाया जबकि मौजूदा दावा में वर्णित मु0 नं0 7 के किला नं0 7 व 14 खातेदारी दर्ज थे और अब भी खातेदारी दर्ज है प्रतिवादीगण आगे से आगे अपने नाम विरासती इन्तकाल दर्ज करवाते रहे हैं जबकि कब्जा वादी का सन् 1967 से खरीद की दिनांक से चला आ रहा है। ये इन्द्राजात वादी के हकों के मुकाबले शुन्य नाकाबिले पाबन्दी वादी एवं एबनिशिया नल एण्ड वॉयड है। प्रतिवादीगण कभी भी वाद भूमि को रहन बेय व मुन्तकिल कर सकते हैं। जिससे वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। वादी ने प्रश्नगत भूमि की घोषणा एवं प्रतीवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाने का अनुतोष मांगा।

2. प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में उपखण्ड क्लेम पेश किया कि प्रश्नगत भूमि उनकी गैखातेदारी कृषि भूमि है। कानून गैर खातेदारी कृषि भूमि को विक्रय करे हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। वाद भूमि किला नं. 7 व 14 प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है जो सदामत से अन्य भूमि के साथ प्रतिवादीगण

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के नाम खातेदारी चली आ रही है। प्रतिवादीगण का निरन्तर कब्जा होने का कथन किया। बैयनामा को कूटरचित बताते हुए अपने हकों के मुकाबले शुन्य होना कथन करते हुए वाद खारिज करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र एवं काउण्टर क्लेम के तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया एवं काउण्टर क्लेम को खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय ने काउण्टर क्लेम विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित काउण्टर क्लेम को सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया जो दावा के रूप में होता है। समस्त तथ्यों व कानूनी पोजिशन पर कोई गौर ना करते हुए केवल काउण्टर क्लेम को खारिज करने में रूचि दिखाई है। मातहत अदालत ने अपने न्यायिक विवेक को काम में नहीं लिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2005 पेज 500, आरआरडी 2008 पेज 517 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।
5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी द्वारा खरीद शुदा भूमि में से मु0 नं0 2 के किला नं. 23–24 मु0 नं0 7 के किला नं. 3, 4, 8, 15 की 6 बीघा बाद में गैरखातेदारी विक्रेता के नाम हो गई जिसका वादी को पहले इल्म नहीं था। बैयनामा में दर्ज 6 बीघा रकबा विक्रेता के नाम गैरखातेदारी हो गया जिसको उसने दुरूस्त नहीं करवाया इस कारण वादी का कुल रकबा का इन्तकाल वादी के नाम नहीं हो पाया जबकि मौजूदा दावा में वर्णित मु0 नं0 7 के किला नं0 7 व 14 खातेदारी दर्ज थे और अब भी खातेदारी दर्ज है प्रतिवादीगण आगे से आगे अपने नाम विरासती इन्तकाल दर्ज करवाते रहे हैं जबकि कब्जा वादी का सन् 1967 खरीद की दिनांक से चला आ रहा है। ये इन्द्राजात वादी के हकों के मुकाबले शुन्य नाकाबिले पाबन्दी वादी एवं एबनिशिया नल एण्ड वॉयड है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाण्ट ने काउण्टर क्लेम एवं वाद के निर्णय के विरूद्ध केवल एक ही अपील प्रस्तुत की है जबकि विधि अनुसार अलग अलग अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अपीलाण्ट की अपील में कोई सार नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2014 (2) सी[illegible] 2011 पेज 183, 2014 (1) आरआरटी पेज 376, आरबीजे 1994 पेज 12[illegible] रामसिंह बनाम चन्द्रभान प्र0 सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(signature)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

17/2000 एडीजे कोर्ट नोहर का निर्णय दिनांक 22.05.2012, 1977 आरआरडी पेज 1 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2019 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रश्नगत भूमि को अपनी खरीदशुदा होने का कथन करते हुए प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा गया था एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम पेश किया गया था जिसके द्वारा बैयनामा को शुन्य एवं प्रभावहीन होने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपने निर्णय एवं डिक्री के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 1/वादी का वाद स्वीकार किया गया है एवं अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को खारिज किया गया है। विधि अनुसार काउण्टर क्लेम के खारिज होने एवं वाद पत्र के स्वीकार होने के विरूद्ध दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी जो प्रस्तुत नहीं की गई हैं। फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

10/2/21

(करतार सिंह पूनीया आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील सं0 2019/00054 (54/2019)

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ईश्वरदयाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 14 रामदेव जी मन्दिर के पास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. गायत्री पुत्री ईश्वर दयाल पत्नी औमप्रकाश तिवाड़ी सेवानिवृत लिपिक विद्युत विभाग श्री माधोपुर जिला सीकर
3. सुजाता पुत्री ईश्वर दयाल पत्नी अशोक कुमार तिवाड़ी अध्यापक पुत्र किशोरीलाल तिवाड़ी श्री माधोपुर जिला सीकर
4. सिरोज पत्नी भवंरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान बी 156 ए0 नोएडा उत्तर प्रदेश।
5. रोहित पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान बी 156 ए0 नोएडा उत्तर प्रदेश।
6. रतना पुत्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान बी 156 ए0 नोएडा उत्तर प्रदेश।
7. सुन्दर देवी पत्नी बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड सं0 4 हाथ्झीपुरा बास तहसील भादरा।
8. मनोज कुमार पुत्र बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड सं0 4 हाथीपुरा बास भादरा
9. कर्ण कुमार पुत्र बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड सं0 4 हाथीपुरा बास भादरा।
10. पूजा पुत्री बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड सं0 4 हाथीपुरा बास भादरा तहसील भादरा।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. अमीचन्द पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा

—असल रेस्पोडेण्ट

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तह[illegible]सील भादरा।

—रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 07.02.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा अनवान अमीचन्द बनाम गोरा देवी आदि प्र0 सं0 12/2019

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री अंजनी तिवाड़ी अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2019 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10.02.21 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

10/2/21
(करतार सिंह पूनीया आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:21 IST
Reason: SelfAttested